न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर C-(...)15/-2
पुनरीक्षण क्रं.   /2000

84

1- पुसउवा विधवा लल्ला पटेल
2- भोला प्रसाद पुत्र लल्ला पटेल
3- शिवदयाल पुत्र लल्ला पटेल
4- रामनरेश पुत्र लल्ला पटेल
निवासीगण ग्राम-रामनगर तहसील चुरहट जिला-सीधी (म0प्र0)
------ आवेदकगण

R-820-III/2000

विरुद्ध

1- रामकृष्ण पुत्र राधे विश्वकर्मा
2- रामहित पुत्र भिम्भा पटेल
3- हीरालाल पुत्र रामगोपाल
समस्त निवासीगण ग्राम-रामनगर तह0 चुरहट जिला-सीधी (म0प्र0)
------- अनावेदकगण

22 MAY 2000

मुकेश भार्गव
एडवोकेट
22/5/2000
ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 901/अपील/94-95 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2000 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

मानूनीय महोदय,

आवेदकगण का नीचे लिखा निम्नानुसार निवेदन है :-

1- यहकि, तहसील एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय अवैध अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, आवेदक के पक्ष में तथा कथित फर्जी अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता था ।

3- यहकि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय के प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध आयुक्त महोदय के समक्ष द्वितीय अपील पोषणीय नहीं थी । आयुक्त महोदय द्वारा अक्षम अपील में पारित आदेश अधिकारिता रहित है ।

4- यहकि, प्रकरण अपर आयुक्त महोदय महोदय रीवा के समक्ष विचाराधीन था। आयुक्त महोदय ने आवेदकगण को सूचना तथा सुनवायी का अवसर प्रदान किये न्यायालय अपर आयुक्त से प्रकरण अपने न्यायालय में बुलाकर आदेश

क्रमशः---2/-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 820–तीन/2000 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29-6-2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 901/अपील/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2000 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक क्र. 1 ने विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि का नामांतरण उसके नाम किये जाने का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार चुरहट ने मामले में कार्यवाही के उपरांत विवादित भूमि पर अनावेदक 1 का स्वत्व पाते हुये नामांतरण का आदेश पारित कर दिया । नायब तहसीलदार चुरहट के पारित आदेश दिनांक 28.02.94 से परिवेदित होकर आवेदिका के पति श्री लल्ला (मृतक) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामांतरण बिक्री टीप की प्रमाणित न होने को कारण मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 28.02.94 निरस्त किया एवं अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 28.07.95 से परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अनावेदक	

P.T.O.

क्र. 1 रामकृष्ण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 06.04.2000 में अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के आदेश दिनांक 28.07.95 को विधि सम्यक नहीं होने से निरस्त किया गया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 06.04.2000 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष प्रकरण लम्बित रहने के दौरान आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी थी । मृत्यु दिनांक 17.10.94 को हुई थी। उसके विधिक उत्तराधिकारियों को नहीं लाये जाने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश दिनांक 22 मई 2000 नियम 3 व 4 के अनुसार अपील का उपशयन हो गया था । इस कारण अपील के गुणदोष पर पारित आदेश व्यर्थ एवं शून्य है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है । आयुक्त द्वारा समक्ष अपील में पारित आदेश अधिकारिता रहित है । प्रकरण अपर आयुक्त रीवा के समक्ष विचाराधीन था । आयुक्त ने आवेदकगण को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान बिना किये अपर आयुक्त से प्रकरण अपने न्यायालय में बुलाकर आदेश पारित किया जो नितान्त अवैध और अनुचित है । अपील का उपशयन का प्रश्न उसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, जिस न्यायालय पक्षकार की मृत्यु हुई है । अपीलार्थी 1 के पति लल्लाराम की मृत्यु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के दौरान हुई थी। इस कारण आयुक्त के द्वारा प्रकरण इस बिन्दु के विनिश्चय के लिये अनुविभागीय

P.T.O.

अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था । अतएव निवेदन है कि निगरी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाये तथा अनु0अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाये ।

4– अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वार अपने आदेश दिनांक 06.04.2000 में आदेशित किया है कि इस तरह यह निर्विवाद है कि लल्ला की मृत्यु दिनांक 17.10.94 को हुई है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपना चुनौती शुदा आदेश लगभग एक वर्ष बाद दिनांक 29.07.95 को पारित किया है, जिसमें उन्होंने लल्ला को अपीलार्थी अंकित किया है । लल्ला के अलावा और कोई अपीलार्थी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नहीं था, इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही/आदेश पारित किया है । यह विधि का स्वीकार्य सिद्धान्त है कि किसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई कर्यवाही/आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसा ही किया है । इस प्रकार उक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील का उपशयन हो गया था, इस कारण गुण–दोष पर निराकरण बिना पक्षकारों को रिकॉर्ड पर लाए नहीं किया जा सकता था, चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिये चुनौती शुदा आदेश विधि सम्यक नहीं हाने से स्थिर

P.T.O.

रखने योग्य नहीं है । फलतः निरस्त किया जाता है । इस प्रकार आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत पाये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य है । अतएव विचारोपरांत प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य